## चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश पर दिनांक 17 मई 2018 के परिपत्र वैंविवि.बीपी.बीसी.106/21.04.098/2017-18

豖.	संदर्भित	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
	अनुच्छेद		
1	8.1	डेरिवेटिव देयता राशियों की गणना डेरिवेटिव देयताओं की गणना पहले डैरिवेटिव	डेरिवेटिव देयता राशियों की गणना डेरिवेटिव देयताओं की गणना पहले
		संविदाओं (बाजार भाव पर दर्शाकर प्राप्त) के प्रतिस्थापन लागत के आधार पर की	डैरिवेटिव संविदाओं (बाजार भाव पर दर्शाकर प्राप्त) के प्रतिस्थापन
		जाती है जहां संविदा का मूल्य ऋणात्मक होता है। यदि डेरिवेटिव एक्सपोज़र	लागत के आधार पर की जाती है जहां संविदा का मूल्य ऋणात्मक होता
		योग्य द्विपक्षीय नेटिंग संविदा से रक्षित हैं, जैसा कि बासल III पूंजी	है। यदि डेरिवेटिव एक्सपोज़र योग्य द्विपक्षीय नेटिंग संविदा से रक्षित हैं,
		विनियमों पर मास्टर परिपत्र के अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट किया	जैसा कि बासल III पूंजी विनियमों पर मास्टर परिपत्र के अनुबंध
		गया है, तो संविदा से रक्षित डेरिवेटिव एक्सपोज़र के सेट की प्रतिस्थापन लागत	20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट किया गया है, तो संविदा से रक्षित
		निवल प्रतिस्थापन लागत होगी। एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताओं की गणना	डेरिवेटिव एक्सपोज़र के सेट की प्रतिस्थापन लागत निवल प्रतिस्थापन
		में, डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में, विभेद मार्जिन के रूप में रखे गए संपार्शिक	लागत होगी। एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताओं की गणना में,
		आस्ति प्रकार से प्रभावित हुए बिना, ऋणात्मक प्रतिस्थापन लागत राशि से घटाई	डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में, विभेद मार्जिन के रूप में रखे गए
		जाएगी।	संपार्शिक आस्ति प्रकार से प्रभावित हुए बिना, ऋणात्मक प्रतिस्थापन
		फूट नोट 3: वर्तमान में, मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.15.3.9 में उल्लिखित शर्तों के अधीन, बैंकों	लागत राशि से घटाई जाएगी।
		द्वारा केवल योग्य केंद्रीय प्रतिपक्षकार (क्यूसीसीपी) को एक्सपोज़र के संबंध में ही संगत हैं। ओटीसी	फूट नोट 3: इहराया गया <del>वर्तमान में, मास्टर परिपन्न के पैराग्राफ 5.15.3.9 में</del>
		डैरिवेटिव के संबंध में, बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – कांउंटरपार्टी ऋण एक्सपोजरों की द्विपक्षीय नेटिंग पर दिनांक 1 अक्तूबर 2010 का परिपत्र देखें। जैसा कि उसमें	उं िल्लिखित शर्तों के अधीन, बैंकों द्वारा केवल योग्य केंद्रीय प्रतिपक्षकार (क्यूसीसीपी) को एक्सपोज़र के संबंध में ही संगत हैं। ओटीसी डैरिवेटिव के संबंध में बैंकों के
		उल्लिखित किया गया है, डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बाज़ार दर पर अंकित	को एक्सपाज़र के संबंध में ही संगत है। ओटासा डीरवटिव के संबंध में,बेको के चुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - कांउंटरपार्टी ऋण एक्सपोजरों
		(एमटीएम)मूल्यों को द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी गई है।	की द्विपक्षीय नेटिंग पर दिनांक 1 अकृतुबर 2010 का परिपन्न देखें। जैसा कि उसमें
			उल्लंखित किया गया है, डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बाज़ार
			दर पर अंकित (एमटीएम) मूल्यों को द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी गई है।